भारतीय निर्यात-आयात बैंक
सामान्य विनियमावली, 2020

Export-Import Bank of India
General Regulations, 2020

इंडिया एक्ज़िम बैंक
India Exim Bank

इंडिया एक्ज़िम बैंक का उद्देश्य भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संवर्धन करना है। बैंक के प्रतीक चिह्न का दुतरफ़ा वैशिष्ट्य है। आयात भुजा निर्यात वाली भुजा से पतली है जो निर्यातों में मूल्ययोजन के उद्देश्य को प्रदर्शित करता है।

India Exim Bank aims to promote India's international trade. The Bank's Logo depicts the two-way significance. The import arrow is thinner than the export arrow, which reflects the aim of value addition to exports.

उद्देश्य

भारतीय निर्यात–आयात बैंक की स्थापना ''देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संवर्धन की दृष्टि से निर्यातकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तथा माल और सेवाओं के निर्यात और आयात के वित्तपोषण में लगी संस्थाओं के कार्यकरण का समन्वय करने के लिए प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से की गई है...''

: भारतीय निर्यात–आयात बैंक अधिनियम, 1981

Objectives

The Export-Import Bank of India was established "for providing financial assistance to exporters and importers, and for functioning as the principal institution for co-ordinating the working of institutions engaged in financing export and import of goods and services with a view to promoting the country's international trade..."

: The Export-Import Bank of India Act, 1981

भारतीय निर्यात-आयात बैंक
सामान्य विनियमावली, 2020

Export-Import Bank of India
General Regulations, 2020

इंडिया एक्ज़िम बैंक
India Exim Bank

अगस्त 2020

August 2020

भारतीय निर्यात-आयात बैंक
सामान्य विनियमावली, 2020

भारतीय निर्यात-आयात बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 28) की धारा 39 की उप धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 24 जुलाई, 1987 के पत्र एफ. संख्या 14(18)/76.आईएफ.आई के जरिए अनुमोदित भारतीय निर्यात-आयात बैंक विनियमावली, 1982 तथा इसके सभी अनुवर्ती संशोधनों का अधिक्रमण करते हुए उन चीजों को छोड़कर, जिन्हें इस अधिक्रमण से पहले डाला जाना हो या हटाया जाना हो, केंद्र सरकार के अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाता है, अर्थात :-

अध्याय I
प्रस्तावना

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

(1) इन विनियमों को भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियमावली, 2020 कहा जाएगा।

(2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं – इस विनियमावली में जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो –

(क) ''अधिनियम'' से भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 28) अभिप्रेत है;

(ख) ''सदस्य'' से प्रबंधन समिति के सदस्य अथवा निदेशक मंडल द्वारा गठित ऐसी किसी समिति, जिसका गठन एक्ज़िम बैंक निदेशक मंडल द्वारा अधिनियम की धारा 7 की उप धारा (1) के अधीन किया गया है, का सदस्य अभिप्रेत है;

(ग) इन विनियमों में ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियां, जो प्रयुक्त तो हुई हैं किन्तु परिभाषित नहीं की गई हैं और जिनका प्रयोग अधिनियम में किया गया है, उनके वही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम में क्रमशः दिए गए हैं।

EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA GENERAL REGULATIONS, 2020

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 39 of the Export-Import Bank of India Act, 1981 (28 of 1981), and in supersession of the Export-Import Bank of India General Regulations, 1982 approved vide letter F.No.14(18)/76.IF.I dated the July 24, 1987, along with all its subsequent amendments except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Board of Directors of the Export-Import Bank of India, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:—

CHAPTER I
PRELIMINARY

1. Short title and commencement.

(1) These Regulations may be called the Export-Import Bank of India General Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these regulations, unless there is anything repugnant in the subject or context,—

(a) "Act" means the Export-Import Bank of India Act, 1981 (28 of 1981);

(b) "member" means a member of the Management Committee or any other Committee constituted by the Board of Exim Bank under sub section (1) of section 7 of the Act;

(c) words and expressions used but not defined in these regulations and used in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

अध्याय II
निदेशक मंडल और प्रबंधन समिति की बैठक

3. निदेशक मंडल की बैठकें

(1) निदेशक मंडल की बैठकें, एक्ज़िम बैंक के अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में एक्ज़िम बैंक के किसी उप प्रबंध निदेशक द्वारा, जिसे अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक अपनी ओर से नामित करेंगे, प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में कम–से–कम चार बार और प्रत्येक तीन महीने में कम–से–कम एक बार बुलाई जाएगी।

(2) किन्हीं चार निदेशकों द्वारा अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक से निदेशक मंडल की बैठक किसी भी समय बुलाने की अपेक्षा की जा सकती है और उनके द्वारा तदनुसार बैठक बुलाई जाएगी।

(3) निदेशक मंडल की बैठकें एक्ज़िम बैंक के प्रधान कार्यालय में अथवा भारत में किसी ऐसे अन्य स्थान पर आयोजित की जाएंगी, जो बैठक बुलाने वाले नोटिस में विनिर्दिष्ट हो।

(4) निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक के लिए सामान्यतः कम–से–कम दो सप्ताह का नोटिस दिया जाएगा और इस प्रकार का नोटिस प्रत्येक निदेशक को उनके पंजीकृत पते पर भेजा जाएगा और यदि आपात बैठक बुलाना आवश्यक हो तो भारत में प्रत्येक निदेशक को कम–से–कम तीन दिन का नोटिस दिया जाएगा ताकि वह बैठक में उपस्थित हो सकें।

परन्तु अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में जब ऐसी अल्प सूचना नहीं दी जा सकती हो, अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक, निदेशक मंडल की ओर से कार्य करें और निदेशक मंडल की अगली बैठक में उसकी रिपोर्ट दें।

(5) निदेशक मंडल की बैठक में जिस कार्य–व्यापार के लिए निदेशक मंडल की बैठक बुलाई गई है, उससे भिन्न अन्य किसी विषय में कार्य व्यापार, तब तक संचालित नहीं किया जाएगा, जब तक कि बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति से सहमति प्राप्त न कर ली जाए।

(6) निदेशक मंडल की किसी बैठक के कार्य–संचालन के लिए कम से कम पाँच निदेशकों की गणपूर्ति (कोरम) आवश्यक होगी।

(7) निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति निदेशकों की जानकारी के लिए बैठक की तारीख के बाद पंद्रह दिनों के भीतर परिचालित की जाएगी और उस बैठक या अगली अनुवर्ती बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(8) उक्त विनियमावली के अंतर्गत निदेशकों द्वारा इन बैठकों में प्रतिभागिता व्यक्तिगत रूप से अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों से की जा सकती है।

(9) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों से निदेशकों की प्रतिभागिता गणपूर्ति के उद्देश्य से मानी जाएगी।

(10) भारत में सभी निदेशकों को लिखित में परिचालित संकल्प और ऐसे निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित एवं हस्ताक्षरित, जो उस समय भारत में हों, जिनमें से एक अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक होंगे, वैध तथा प्रभावी होगा और उसे निदेशक मंडल द्वारा उस तारीख को पारित संकल्प माना जाएगा, जिस तारीख को यह संकल्प, इसके अंतिम हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अनुमोदित और हस्ताक्षरित किया गया था:

परन्तु केवल विशिष्ट कारणों से, जिन्हें लिखित में रिकॉर्ड में रखा जाएगा, कोई संकल्प उपर्युक्त अनुसार परिचालित कर पारित किया जाएगा और इस प्रकार के प्रत्येक संकल्प को निदेशक मंडल की सूचना के लिए निदेशक मंडल के समक्ष अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

CHAPTER II
MEETING OF BOARD AND MANAGING COMMITTEE

3. Meetings of the Board.

(1) Meetings of the Board shall be convened by the Chairman or the Managing Director or, in their absence, by a Deputy Managing Director of the Exim Bank nominated by the Chairman or the Managing Director in this behalf, at least four times in each calendar year and at least once in every three months.

(2) Any four directors may require the Chairman or the Managing Director to convene a meeting of the Board at any time, and he shall forthwith convene a meeting accordingly.

(3) Meetings of the Board shall be held at the Head Office of the Exim Bank, or at such other place in India as may be specified in the notice convening the meeting.

(4) At least two weeks' notice shall ordinarily be given of each meeting of the Board and such notice shall be sent to every director at his registered address and in case it is necessary to convene an emergency meeting, a notice of at least three days shall be given to every director in India to enable him to attend:

Provided that in exceptional circumstances, when such shorter notice cannot be given, the Chairman or the Managing Director may act on behalf of the Board and report at the next meeting of the Board.

(5) No business other than that for which the meeting was convened shall be transacted at a meeting of the Board, except with the consent of the person presiding at the meeting.

(6) Five directors shall form a quorum for the transaction of business at a meeting of the Board.

(7) A copy of the minutes of each meeting of the Board shall be circulated within fifteen days after the date of the meeting for the information of the directors and shall be signed by the person presiding at that meeting or the next succeeding meeting.

(8) Participation of the Directors in the meetings under these regulations may be either in person or through video conferencing or through other audio-visual means.

(9) Any participation of the Directors through video conferencing or other audio-visual means shall be counted for the purpose of quorum.

(10) A resolution in writing circulated to all the directors in India and approved and signed by a majority of such directors who are then in India, one of whom shall be the Chairman or the Managing Director, shall be valid and effectual and shall be deemed to be the resolution passed by the Board on the date on which it is approved and signed by the last signatory to the resolution:

Provided that only for specific reasons to be recorded in writing a resolution shall be passed by circulation as mentioned above and every such resolution shall be placed before the next meeting of the Board, for the information of the Board.

4. प्रबंधन समिति का गठन और उसकी शक्तियां

(1) एक प्रबंधन समिति होगी जिसमें अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, उप प्रबंध निदेशक और निदेशक मंडल के अधिकतम सात निदेशक शामिल होंगे, जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा नामित किया जाएगा।

(2) अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रबंधन समिति ऐसे सामान्य या विशेष निदेशों से बाध्य होगी, जो निदेशक मंडल द्वारा समय–समय पर उसे दिए जाएंगे।

5. प्रबंधन समिति की बैठकें

(1) प्रबंधन समिति की बैठकें अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक द्वारा अथवा उनकी अनुपस्थिति में इस संबंध में अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक द्वारा नामित एक्ज़िम बैंक के किसी उप प्रबंध निदेशक द्वारा समय–समय पर एक्ज़िम बैंक के प्रधान कार्यालय में या भारत में ऐसे अन्य स्थान पर जो बैठकों के आयोजन से संबंधित सूचना में निर्दिष्ट हो, बुलाई जाएंगी। तथापि प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में कम–से–कम छह बैठकें बुलाई जाएंगी। प्रबंधन समिति की प्रत्येक बैठक के लिए सामान्यतया कम–से–कम दो सप्ताह पहले सूचना दी जाएगी। यदि आपात बैठक बुलाना आवश्यक हो तो ऐसी बैठकों के लिए कम–से–कम तीन दिन का नोटिस दिया जाएगाः

परंतु अपवाद स्वरूप ऐसी परिस्थितियों में जहां ऐसी अल्प सूचना नहीं दी जा सकती है, अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक, प्रबंधन समिति की ओर से कार्य करें और प्रबंधन समिति की अगली बैठक में उसकी रिपोर्ट दें।

(2) तीन सदस्य जिनमें से एक उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (1) के खंड (ख) अथवा खंड (ग) अथवा खंड (घ) अथवा खंड (ङ) के अंतर्गत नियुक्त किए गए हों, प्रबंधन समिति की बैठक में कार्य–व्यापार संचालित करने के लिए गणपूर्ति करेंगे।

(3) इस विनियम में जब तक कि अन्यथा उपबंधित न हो, उक्त अधिनियम और इस विनियमावली के उपबंध प्रबंधन समिति की बैठकों के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे कि वे निदेशक मंडल की बैठकें हों।

6. कोई भी निदेशक अथवा सदस्य ऐसे मामलों में व्यवहार नहीं करेंगे, जिनसे वह व्यक्तिगत रूप से संबंधित हों

(1) निदेशक मंडल के प्रत्येक निदेशक और प्रबंधन समिति के प्रत्येक सदस्य जो किसी भी प्रकार से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी संविदा या व्यवस्था अथवा प्रस्तावित संविदा या व्यवस्था, जो एक्ज़िम बैंक द्वारा या एक्ज़िम बैंक की ओर से की गई है अथवा की जाने वाली है, से संबंधित हैं अथवा उसमें कोई भी हित रखते हैं तो वे निदेशक मंडल अथवा प्रबंधन समिति की बैठक में ऐसी संविदा या व्यवस्था अथवा प्रस्तावित संविदा या व्यवस्था में अपना हित प्रकट करेंगेः

परंतु किसी निदेशक अथवा किसी सदस्य के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह इस प्रकार की किसी संविदा या व्यवस्था, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अंतर्गत किसी कंपनी या विदेशी कंपनी के साथ प्रस्तावित है, जहां संबंध अथवा हितबद्धता केवल इस बात तक सीमित है कि उसकी धारिता अकेले अथवा निदेशक मंडल के किसी अन्य निदेशक या निदेशकों अथवा प्रबंधन समिति के किसी अन्य सदस्य या सदस्यों के साथ मिलकर, कुल मिलाकर ऐसी कंपनी की शेयर पूँजी की दो प्रतिशत से अधिक न हो, के विषय में संबंध अथवा हितबद्धता की जानकारी दें।

4. Constitution and powers of the Management Committee.

(1) There shall be a Management Committee which shall consist of the Chairman, Managing Director, the Deputy Managing Directors and not more than seven Directors of the Board, to be nominated by the Board.

(2) In the exercise of its powers, the Management Committee shall be bound by such general or special directions as the Board may give from time to time.

5. Meetings of Management Committee.

(1) The meetings of the Management Committee may be convened by the Chairman or the Managing Director or, in their absence, by a Deputy Managing Director of the Exim Bank nominated by the Chairman or the Managing Director in this behalf from time to time at the Head Office of the Exim Bank, or at such other place in India as may be specified in the notice convening the meetings, so however that at least six meetings shall be convened in each calendar year and at least two weeks' notice shall ordinarily be given of each meeting of the Management Committee and in case it is necessary to convene an emergency meeting, a notice of at least three days shall be given for such meetings:

Provided that in exceptional circumstances, when such shorter notice cannot be given, the Chairman or the Managing Director may act on behalf of the Management Committee and report at the next meeting of the Management Committee.

(2) Three members of whom one should be a director appointed under clause (b) or clause (c) or clause (d) or clause (e) of sub-section (1) of section 6 of the Act shall form a quorum for the transaction of business at a meeting of the Management Committee.

(3) Save as otherwise provided in this regulation, the provisions of the Act and, of these regulations shall apply to meetings of the Management Committee as if they were meetings of the Board.

6. Director or member not to deal with matters with which he is personally concerned.

(1) Every director of the Board and every member of the Management Committee who is in any way, whether directly or indirectly, concerned or interested in a contract or arrangement, or proposed contract or arrangement, entered into or to be entered into, by or on behalf of the Exim Bank, shall disclose the nature of his concern or interest in such contract or arrangement or proposed contract or arrangement at a meeting of the Board or the Management Committee, as the case may be:

Provided that it shall not be necessary for a director or member to disclose his concern or interest in any such contract or arrangement proposed to be entered into with a company or a foreign company within the meaning of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), where the concern or interest consists only in his holding either singly or together with any other director or directors of the Board or any other member or members of the Management Committee, in the aggregate not more than two percent, of the paid-up share capital of such company.

(2) (क) किसी प्रस्तावित संविदा अथवा व्यवस्था के मामले में, निदेशक मंडल के किसी निदेशक अथवा प्रबंधन समिति के सदस्य द्वारा उप–विनियम (1) के अंतर्गत अपेक्षित हित प्रकटन, जैसा भी मामला हो, निदेशक मंडल अथवा प्रबंधन समिति की बैठक में किया जाएगा, जिसमें संविदा अथवा व्यवस्था निष्पादित करने के प्रश्न पर पहली बार विचार किया जा रहा हो अथवा यदि निदेशक या सदस्य उस बैठक की तारीख को प्रस्तावित संविदा अथवा व्यवस्था से संबंधित अथवा हितबद्ध नहीं थे तो उनके उस संविदा अथवा व्यवस्था से संबंधित या हितबद्ध होने के बाद, मामले के अनुसार, निदेशक मंडल अथवा प्रबंधन समिति की पहली बैठक में उक्त जानकारी दी जाएगी।

(ख) किसी अन्य संविदा अथवा व्यवस्था के मामले में, किसी निदेशक अथवा सदस्य के संविदा अथवा व्यवस्था से संबंधित अथवा हितबद्ध होने के बाद, निदेशक अथवा सदस्य द्वारा निदेशक मंडल अथवा प्रबंधन समिति, जैसा भी मामला हो, की पहली बैठक में अपेक्षित हित प्रकटन किया जाएगा।

(3) (क) उप–विनियम (1) और (2) के अभिप्राय के लिए किसी निदेशक अथवा सदस्य द्वारा निदेशक मंडल अथवा प्रबंधन समिति, जैसा भी मामला हो, को इस संबंध में दिया गया सामान्य नोटिस कि वह किसी विनिर्दिष्ट निगमित इकाई का निदेशक अथवा सदस्य है, अथवा किसी विनिर्दिष्ट फर्म का सदस्य है और उसे किसी ऐसी संविदा अथवा व्यवस्था से संबंधित अथवा हितबद्ध माना जाए जो उस निगमित इकाई या फर्म के साथ निष्पादित की जाने वाली है, तो उस नोटिस को इस प्रकार की गई किसी संविदा अथवा व्यवस्था के संबंध में, उसके संबंध अथवा हितबद्धता के लिए हित प्रकटन समझा जाएगा।

(ख) इस प्रकार के किसी सामान्य नोटिस को उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समाप्त समझा जाएगा, जिस वित्तीय वर्ष के दौरान यह दिया गया है। परंतु इसे एक बार एक वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है, जिसके लिए उस वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में, जिसमें वह अन्यथा समाप्त हो जाएगा, नया नोटिस देना होगा।

(ग) इस प्रकार का कोई सामान्य नोटिस और उसका नवीनीकरण तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक कि इसे निदेशक मंडल अथवा प्रबंधन समिति, जैसा भी मामला हो, की बैठक में न दिया जाए अथवा संबंधित निदेशक या सदस्य यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रयास न करें कि यह नोटिस दिए जाने के बाद निदेशक मंडल अथवा प्रबंधन समिति, जैसा भी मामला हो, की पहली बैठक में इसे लाया जाए और पढ़ा जाए।

(4) निदेशक मंडल का कोई निदेशक अथवा प्रबंधन समिति का कोई सदस्य, निदेशक अथवा सदस्य के रूप में, जैसा भी मामला हो, एक्ज़िम बैंक द्वारा अथवा एक्ज़िम बैंक की ओर से की गई अथवा की जाने वाली संविदा या व्यवस्था की चर्चा में भाग नहीं लेगा अथवा अपना मत नहीं देगा, यदि वह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार की किसी संविदा अथवा व्यवस्था से संबंधित है अथवा उसमें हितबद्ध है; और इस प्रकार की चर्चा अथवा मतदान के समय गणपूर्ति के उद्देश्य से उनकी उपस्थिति की गणना नहीं की जाएगी; और यदि वह मतदान करते हैं तो उनका मत अवैध समझा जाएगा:

परंतु यह कि यहां अंतर्निहित कुछ भी, कंपनी अधिनियम, 2013 के अभिप्राय वाली किसी भी सार्वजनिक कंपनी अथवा उक्त अधिनियम के अभिप्राय वाली किसी निजी कंपनी, जो किसी सार्वजनिक कंपनी की अनुषंगी कंपनी है, के साथ की गई अथवा की जाने वाली संविदा अथवा व्यवस्था पर लागू नहीं होगा, जिसमें निदेशक का हित केवल इतना है कि;

(i) ऐसी किसी कंपनी के निदेशक रहते हुए उन्हें एक्ज़िम बैंक द्वारा ऐसा निदेशक नामित किया गया है, अथवा

(2) (a) In the case of a proposed contract or arrangement, the disclosure required to be made by a director of the Board or member of the Management Committee under sub-regulation (1) shall be made at the meeting of the Board or the Management Committee, as the case may be, at which the question of entering into contract or arrangement is first taken into consideration or if the director or member, was not, at the date of that meeting concerned or interested in the proposed contract or arrangement, at the first meeting of the Board or the Management Committee, as the case may be, held after he becomes so concerned or interested.

(b) In the case of any other contract or arrangement, the required disclosure shall be made at the first meeting of the Board or the Management Committee, as the case may be, held after the director or member becomes concerned or interested in the contract or arrangement.

(3) (a) For the purpose of sub-regulations (1) and (2) a general notice given by a director or a member, to the Board or to the Management Committee, as the case may be, to the effect that he is a director or a member of a specified body corporate or is a member of a specified firm and is to be regarded as concerned or interested in any contract or arrangement which may, after the date of the notice, be entered into with that body corporate or firm, shall be deemed to be a sufficient disclosure of concern or interest in relation to any contract or arrangement so made.

(b) Any such general notice shall expire at the end of the financial year in which it is given, but may be renewed for further periods of one financial year at a time, by a fresh notice given in the last month of the financial year in which it would otherwise expire.

(c) No such general notice, and no renewal thereof, shall be of effect unless either it is given at a meeting of the Board or the Management Committee, as the case may be, or the director or member, concerned takes reasonable steps to secure that it is brought upon and read at the first meeting of the Board or the Management Committee, as the case may be, after it is given.

(4) No director of the Board and no member of the Management Committee shall as a director or member, as the case may be, take any part in the discussion of or vote on any contract or arrangement entered into or to be entered into by or on behalf of the Exim Bank, if he is in anyway, whether directly or indirectly, concerned or interested in such contract or arrangement; nor shall his presence count for the purpose of forming a quorum at the time of such discussion or vote; and if he does vote, his vote shall be void:

Provided that nothing herein contained shall apply to any contract or arrangement entered into or to be entered into with a public company within the meaning of the Companies Act, 2013, or a private company within the meaning of that Act which is a subsidiary of any such public company in which the interest of the Director consists solely;

(i) in his being a director of such company, having been nominated as such director by the Exim Bank, or

(ii) सदस्य होते हुए वह उस कंपनी की चुकता शेयर पूँजी के दो प्रतिशत से अधिक की शेयरधारिता न रखते हों।

7. अन्य समितियां

(1) (क) प्रबंधन समिति के अलावा किसी अन्य समिति में ऐसे सदस्य होंगे, जो या तो पूर्ण रूप से निदेशक अथवा पूर्ण रूप से अन्य व्यक्ति अथवा आंशिक रूप से निदेशक और आंशिक रूप से अन्य व्यक्ति होंगे, जैसा कि निदेशक मंडल अथवा प्रबंधन समिति द्वारा नामित किया गया हो और उस समिति को निदेशक मंडल अथवा प्रबंधन समिति द्वारा सौंपे गए कार्य–व्यापार का संचालन करेंगे।

(ख) कार्य–व्यापार संचालन में खंड (क) के अधीन गठित समिति के सदस्य इस प्रकार के सामान्य अथवा विशेष निदेशों से बाध्य होंगे, जो निदेशक मंडल अथवा प्रबंधन समिति द्वारा समय–समय पर दिए जाएं।

(2) इस प्रकार की किसी भी समिति की बैठकें एक्ज़िम बैंक के प्रधान कार्यालय में अथवा भारत के किसी ऐसे स्थान पर बुलाई जाएंगी, जो बैठक बुलाने के नोटिस में विनिर्दिष्ट हों। इस प्रकार की किसी भी समिति की प्रत्येक बैठक से पहले सामान्यतया कम से कम दो सप्ताह की पूर्व सूचना दी जाएगी। यदि कोई आपात बैठक बुलाना आवश्यक हो जाता है तो ऐसी बैठक के लिए कम से कम तीन दिन की पूर्व सूचना दी जाएगीः

परन्तु अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में जब ऐसी अल्प अवधि सूचना नहीं दी जा सकती हो, अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक, यदि वे ऐसी समिति के अथवा की सदस्य हैं और यदि नहीं हैं, तो समिति के अध्यक्ष ऐसी समिति की ओर से कार्य करें और समिति की अगली बैठक में उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(3) ऐसी किसी समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति समिति सदस्यों की संख्या के एक तिहाई (उस एक तिहाई में निहित किसी अंश को एक पूर्णांकित किया जाएगा) या तीन सदस्यों, इसमें से जो भी अधिक हो, को समझा जाएगा।

(4) विनियम 6 के उपबंध प्रत्येक सदस्य और इस प्रकार की समिति की बैठकों के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार वह विनियम प्रत्येक सदस्य और प्रबंधन समिति की बैठकों के लिए लागू होता हैः

किन्तु यदि इस प्रकार के किसी सदस्य ने निदेशक मंडल अथवा प्रबंधन समिति को विनियम 6 के अंतर्गत किसी प्रकार का नोटिस दिया है तो उनके लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह इस उप–विनियम के अनुसरण में अपने संबंध अथवा हितबद्धता को प्रकट करें।

(ii) in his being a member holding not more than two percent of the paid-up share capital of such company.

7. Other Committees.

(1) (a) any Committee other than the Management Committee shall consist of such members, comprising either wholly directors or wholly other persons or partly directors and partly other persons as may be nominated by the Board or the Management Committee and shall transact such business as may be entrusted to the Committee by the Board or the Management Committee.

(b) in the conduct of the business the members of the Committee constituted under clause (a) shall be bound by such general or special directions as the Board or the Management Committee may give from time to time.

(2) Meetings of any such committee may be convened from time to time at the Head Office of the Exim Bank, or at such other place in India as may be specified in the notice convening the meeting and at least two weeks' notice shall ordinarily be given of each meeting of such committee and if it is necessary to convene an emergency meeting, a notice of at least three days shall be given for such meeting:

Provided that in exceptional circumstances when even such shorter notice cannot be given, the Chairman or the Managing Director, if he or she is a member of such committee, and if not, then the Chairman of the committee may act on behalf of such committee and report at the next meeting of the committee.

(3) The quorum for the meeting of any such Committee shall be one third of its strength (any fraction contained in that one-third being rounded off as one) or three members, whichever is higher.

(4) The provisions of regulation 6 shall apply to every member and to meetings of any such Committee in the same manner as that regulation applies to every member and to meetings of the Management Committee:

Provided that if any such member has given any notice under regulation 6 to the Board or the Management Committee, it shall not be necessary for him to further disclose his concern or interest in pursuance of this sub-regulation.

अध्याय III

निदेशकों और समिति के सदस्यों की फीस और भत्ते

8. निदेशकों और समिति के सदस्यों की फीस और भत्ते

(1) उक्त अधिनियम की धारा 8 के परंतुक के अधीन,-

(i) निदेशक मंडल की हर बैठक के लिए निदेशक, जिसमें वे उपस्थित रहेंगे, 40,000/- रुपये अथवा निदेशक मंडल द्वारा विनिर्दिष्ट इस प्रकार की अन्य कोई राशि, की फीस पाने के हकदार होंगेः

परंतु यह कि निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करने वाले निदेशक को 10,000/- रुपये अथवा निदेशक मंडल द्वारा विनिर्दिष्ट इस प्रकार की अन्य कोई राशि की अतिरिक्त फीस देय होगी।

(ii) प्रबंधन समिति के सदस्य, प्रबंधन समिति की प्रत्येक बैठक के लिए, जिसमें कि वे उपस्थित रहेंगे, 20,000/- रुपये अथवा निदेशक मंडल द्वारा विनिर्दिष्ट इस प्रकार की अन्य कोई राशि की फीस पाने के हकदार होंगे;

परंतु यह कि प्रबंधन समिति की बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को 5,000/- रुपये अथवा निदेशक मंडल द्वारा विनिर्दिष्ट इस प्रकार की अन्य कोई राशि की अतिरिक्त फीस देय होगी।

(iii) उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन गठित समिति का प्रत्येक सदस्य, जब तक कि उन्हें एक्ज़िम बैंक से प्राप्त आकस्मिक पारिश्रमिक के अलावा किसी मानदेय सहित किसी प्रकार का पारिश्रमिक न मिलता हो, ऐसी समितियों की प्रत्येक बैठक के लिए जिसमें कि वह उपस्थित रहते हैं, 20,000 रुपये अथवा निदेशक मंडल द्वारा विनिर्दिष्ट इस प्रकार की अन्य कोई राशि की फीस पाने के हकदार हैं:

परंतु यह कि समिति की बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को 5,000/- रुपये अथवा निदेशक मंडल द्वारा विनिर्दिष्ट इस प्रकार की अन्य कोई राशि की अतिरिक्त फीस देय होगी:

परंतु यह भी कि विनियम 8 के संबंध में किसी निदेशक अथवा सदस्य को देय कुल फीस पंद्रह लाख प्रति वर्ष अथवा निदेशक मंडल द्वारा विनिर्दिष्ट इस प्रकार की कोई अन्य राशि की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी।

(2) इस प्रकार की फीस के अतिरिक्त, निदेशकों और सदस्यों को उनकी यात्रा, विश्राम और आवास सहित अन्य खर्चों की प्रतिपूर्ति समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले मानकों के अनुसार की जाएगी।

CHAPTER III

FEE AND ALLOWANCES OF DIRECTORS AND MEMBERS OF THE COMMITTEE

8. Fees and allowances of directors and members of the Committee.

(1) Subject to the proviso to section 8 of the Act,—

(i) directors shall be entitled to receive a fee of Rs.40,000/- or such other amount as may be specified by the Board for each meeting of the Board which they attend:

Provided that an additional fee of Rs.10,000/- or such other amount as may be specified by the Board shall be payable to such director who chairs a meeting of the Board.

(ii) members of the Management Committee shall be entitled to receive a fee of Rs.20,000/- or such other amount as may be specified by the Board for each meeting of the Management Committee which they attend:

Provided that an additional fee of Rs.5,000/- or such other amount as may be specified by the Board shall be payable to such member who chairs a meeting of the Management Committee.

(iii) every member of any Committee constituted under sub-section (1) of section 7 of the Act shall, unless he is in receipt of any remuneration including honorarium other than casual remuneration from the Exim Bank be entitled to receive a fee of Rs.20,000/- or such other amount as may be specified by the Board for each meeting of such Committees, which he attends:

Provided that an additional fee of Rs.5,000/- or such other amount as may be specified by the Board shall be payable to such member who chairs a meeting of the Committee:

Provided further that the aggregate fees payable to a director or member in terms of regulation 8, shall not exceed an overall ceiling of rupees fifteen lakh per annum or such other amount as the Board may specify.

(2) In addition to such fees, directors and members shall be reimbursed their travelling, halting and other expenses including accommodation on such scales as may be fixed from time to time.

अध्याय IV

सामान्य प्रावधान

9. वह तरीका और रूप जिसमें एक्ज़िम बैंक पर बाध्यकारी संविदाएं निष्पादित की जा सकती हैं

(1) एक्ज़िम बैंक की ओर से संविदाएं निम्न प्रकार से की जा सकती हैं:

(i) कोई भी संविदा, यदि निजी व्यक्तियों के बीच की गई हो, उसका विधि द्वारा लिखित रूप में होना अपेक्षित है और उसके अंतर्गत प्रभारित पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर करना आवश्यक है, एक्ज़िम बैंक के प्राधिकार, व्यक्त अथवा निहित, के अंतर्गत कार्यरत व्यक्ति के हस्ताक्षर से एक्ज़िम बैंक की ओर से लिखित रूप में की जाएगी और उसी तरीके से परिवर्तित अथवा निष्पादित की जाएगी।

(ii) इस विनियम के प्रावधानों के अनुसार की गई सभी संविदाएं वैध और एक्ज़िम बैंक पर बाध्यकारी होंगी।

10. निदेशक मंडल द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कतिपय शक्तियां

(1) अधिनियम अथवा विनियमों में जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, एक्ज़िम बैंक की ओर से निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग केवल निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा, अर्थातः–

(क) सामान्य निधि और निर्यात विकास कोष से संबंधित तुलन–पत्रों का अनुमोदन;

(ख) सामान्य निधि और निर्यात विकास कोष से संबंधित लाभों तथा अन्य सामान्य एवं आवश्यक उपबंधों के विनियोजन का अनुमोदन;

(ग) 20 करोड़ रुपये अथवा इस प्रकार की किसी अन्य विनिर्दिष्ट राशि से अधिक की हानियों अथवा अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालने का अनुमोदन।

परंतु यह कि खंड (ग) के उपबंध दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31), अन्य समान अधिनियमनों अथवा अन्य विनियामकीय दिशानिर्देशों के संबंध में दिवालिया प्रक्रिया के अनुसरण में किए गए बट्टे खाते पर लागू नहीं होंगे।

(2) अध्यक्ष, यदि वह पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंध निदेशक हैं तो वह उपर्युक्त उपबंधित सीमा तक को छोड़कर, एक्ज़िम बैंक द्वारा अपेक्षित सभी कार्यों को करने के लिए इन विनियमों में निर्दिष्ट अनुसार अथवा निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित की गई शक्तियों का प्रयोग करेंगे और वह विभिन्न कार्यों के लिए एक्ज़िम बैंक के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को कार्यों का आवंटन करने तथा एक्ज़िम बैंक के अन्य अधिकारियों को अलग–अलग अथवा संयुक्त रूप से, अटर्नी अथवा सामान्य या विशेष आदेश के जरिए शक्तियों का प्रत्यायोजन करने के लिए भी प्राधिकृत हैं और इन शक्तियों के अंतर्गत सहायता राशि की मंजूरी तथा संवितरण, वचन पत्रों का पृष्ठांकन और अंतरण, स्टॉक रसीदें, स्टॉक, डिबेंचर, शेयर, प्रतिभूतियां तथा वस्तुओं पर हक विलेख, जो एक्ज़िम बैंक के नाम पर हैं या उसके नाम पर धारित हैं या एक्ज़िम बैंक द्वारा धारित हैं, तथा एक्ज़िम बैंक के वर्तमान और प्राधिकृत व्यवसाय से संबंधित विनिमय–पत्र और अन्य लिखतों को तैयार करना, स्वीकार करना और पृष्ठांकन करना तथा ऐसे व्यवसाय से संबंधित अथवा समान व्यवसाय संबंधी अन्य सभी लेखों, रसीदों और विलेखों पर हस्ताक्षर करना शामिल है।

11. वाद पत्रों, दस्तावेज आदि पर हस्ताक्षर – वाद पत्रों, लिखित विवरण, शपथ पत्रों तथा कानूनी कार्यवाहियों से संबंधित अन्य सभी दस्तावेजों पर एक्ज़िम बैंक की ओर से वे अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे और इन दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे, जिन्हें अध्यक्ष, यदि वह पूर्णकालिक निदेशक हैं अथवा प्रबंध निदेशक द्वारा शक्ति प्रदान की गई है अथवा एक्ज़िम बैंक के लिए और

CHAPTER IV

GENERAL PROVISIONS

9. Manner and form in which contracts bind on the Exim Bank be executed.

(1) Contracts on behalf of the Exim Bank may be made as follows:

(i) Any contract which, if made between private persons, would be by law required to be in writing, signed by the parties to be charged therewith, may be made on behalf of the Exim Bank in writing signed by any person acting under its authority, express or implied, and may in the same manner be varied or discharged.

(ii) All contracts made according to the provisions of this regulation shall be valid and binding on the Exim Bank.

10. Certain powers to be exercised by the Board.

(1) Except as otherwise provided in the Act or in the regulations, the following powers on behalf of the Exim Bank shall be exercised only by the Board, namely:—

(a) approval of the balance sheets relating to the General Fund and Export Development Fund;

(b) approval of appropriation of profits and other usual and necessary provisions relating to the General Fund and the Export Development Fund;

(c) approval of write-off of losses or bad debts in excess of rupees twenty crore or such other amount as it may specify:

Provided that the provisions of clause (c) shall not apply to any write-off made pursuant to a resolution process in terms of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), other similar enactments or any regulatory guidelines.

(2) The Chairman if he is the whole-time Director or the Managing Director shall exercise such powers as may be specified by these regulations or may be determined by the Board to do all the things required to be done by the Exim Bank except to the extent provided hereinabove and is also authorised to allocate duties to officers and other employees for various purposes through grant of powers of attorney or by general or special order or otherwise and these powers may include, but shall not be limited to, sanction and disbursement of assistance, endorsement and transfer of promissory notes, stock-receipts, stocks, debentures, shares, securities and documents of title to goods, standing in the name of or held in the name of or held by the Exim Bank, and to draw, accept and endorse bills of exchange and other instruments in the current and authorised business of Exim Bank and to sign all other accounts, receipts and documents connected with or incidental to such business.

11. Plaints, documents, etc. by whom to be signed.—Plaints, written statement, affidavits and all other documents connected with legal proceedings may be signed and verified on behalf of the Exim Bank by any officer empowered by the Chairman if he is a whole-time director or the Managing Director

एक्ज़िम बैंक की ओर से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के लिए विनियम (10) के अंतर्गत उल्लिखित अधिकारी इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे या सत्यापन करेंगे।

12. बॉन्ड का निर्गम

(1) एक्ज़िम बैंक के बॉन्ड अथवा डिबेंचर, अध्यक्ष यदि वह पूर्णकालिक निदेशक हैं अथवा प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर से जारी किए जाएंगे, जो एक्ज़िम बैंक के निदेशानुसार ऐसी अन्य मशीनीकृत प्रक्रिया द्वारा मुद्रित, उत्कीर्ण या शिलामुद्रित या अंकित होंगे;

(2) इस प्रकार मुद्रित, उत्कीर्ण, शिलामुद्रित या अन्यथा अंकित हस्ताक्षर हस्ताक्षरकर्ता की अपनी लिखावट में अंकित हस्ताक्षर के समान वैध होगा।

13. सामान्य मुहर – एक्ज़िम बैंक की सामान्य मुहर, निदेशक मंडल या प्रबंध समिति के संकल्प के अनुसार तथा कम से कम दो निदेशकों की उपस्थिति में, जो अपनी उपस्थिति के प्रमाण के रूप में लिखतों पर अपने नामों के हस्ताक्षर करेंगे, के सिवाय किसी लिखत पर नहीं लगाई जाएगी और निदेशकों के ऐसे हस्ताक्षर साक्षी के रूप में लिखत पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर से अलग होंगे। जब तक लिखत पर उपर्युक्त अनुसार हस्ताक्षर नहीं होंगे, उसकी कोई वैधता नहीं होगी।

14. तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा – एक्ज़िम बैंक के वार्षिक लेखे निम्नलिखित ढंग से अथवा केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट अनुसार तैयार और निर्धारित किए जाएंगे, –

(i) प्रत्येक वर्ष यथा 31 मार्च अथवा प्रत्येक वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक गजट में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट अनुसार तारीख तक सामान्य निधि का तुलन पत्र, उस वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरणी, क्रमशः इस विनियमावली की अनुसूची I, अनुसूची II और अनुसूची III में वर्णित रूप में; और

(ii) प्रत्येक वर्ष यथा 31 मार्च अथवा प्रत्येक वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक गजट में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट अनुसार तारीख तक निर्यात विकास कोष का तुलन पत्र और उस वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा, क्रमशः इस विनियमावली की अनुसूची I क, और अनुसूची II क में वर्णित रूप में तैयार किए जाएंगे।

or under the regulation (10) to sign documents for and on behalf of the Exim Bank.

12. Issue of Bonds.

(1) The bonds or debentures of the Exim Bank shall be issued over the signature of the Chairman if he is a whole-time director or Managing Director which may be printed, engraved or lithographed or impressed by such other mechanical process as the Exim Bank may direct;

(2) A signature so printed, engraved, lithographed or otherwise impressed shall be as valid as if it had been inscribed in the proper handwriting of the signatory himself.

13. Common Seal.— The Common seal of the Exim Bank shall not be affixed to any instrument except in pursuance of a resolution of the Board or of the Management Committee and in the presence of at least two directors who shall sign their names to the instrument in token of their presence, and such signing shall be independent of the signing of any person who may sign the instrument as a witness and unless so signed as aforesaid such instrument shall be of no validity.

14. Balance Sheet and Profit and Loss Account.— The annual accounts of the Exim Bank shall be prepared and set out in the following manner or in such other manner as the Central Government may by notification in the Official Gazette specify,—

(i) a balance sheet as on the 31st March of each year or such other date in each year as the Central Government may, by notification in the Official Gazette specify, a profit and loss account and a cash flow statement for that year, of the General Fund, in the forms set out in Schedule I, Schedule II and Schedule III, respectively, to these regulations; and

(ii) a balance sheet as on the 31st March of each year or such other date in each year as the Central Government may, by notification in the Official Gazette specify, and a profit and loss account for that year, of the Export Development Fund, in the form set out in Schedule IA and Schedule IIA, respectively, to these regulations.

अनुसूची I

भारतीय निर्यात-आयात बैंक

यथा दिनांक________________को तुलन पत्र

सामान्य निधि

गत वर्ष रुपये			अनुसूचियां	इस वर्ष रुपये
	देयताएं			
	1.	पूँजी	I	
	2.	आरक्षित निधियां	II	
	3.	लाभ और हानि	III	
	4.	नोट, बॉन्ड और डिबेंचर		
	5.	देय बिल		
	6.	जमा राशियां	IV	
	7.	उधार राशियां	V	
	8.	चालू देयताएं एवं आकस्मिकताओं हेतु प्रावधान		
	9.	अन्य देयताएं		
		योग		
	आस्तियां			
	1.	नकदी एवं बैंक शेष	VI	
	2.	निवेश	VII	
	3.	ऋण एवं अग्रिम	VIII	
	4.	भुनाये गए / पुनः भुनाये गए विनिमय बिल और वचन पत्र	IX	
	5.	अचल आस्तियां	X	
	6.	अन्य आस्तियां	XI	
		योग		

SCHEDULE I

EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA
BALANCE SHEET AS AT _______________

GENERAL FUND

Previous Year Rs.			Schedules	This Year Rs.
	LIABILITIES			
	1.	Capital	I	
	2.	Reserves	II	
	3.	Profit and Loss	III	
	4.	Notes, Bonds and Debentures		
	5.	Bills Payable		
	6.	Deposits	IV	
	7.	Borrowings	V	
	8.	Current Liabilities and Provisions for contingencies		
	9.	Other Liabilities		
		Total		
	ASSETS			
	1.	Cash and Bank Balances	VI	
	2.	Investments	VII	
	3.	Loans and Advances	VIII	
	4.	Bills of Exchange and Promissory Notes Discounted/ Rediscounted	IX	
	5.	Fixed Assets	X	
	6.	Other Assets	XI	
		Total		

गत वर्ष रुपये		इस वर्ष रुपये
	आकस्मिक देयताएं	
	i) स्वीकृतियां, गारटियां, परांकन तथा अन्य दायित्व	
	ii) वायदा विनिमय संविदाओं की बकाया राशियों पर	
	iii) हामीदारी वचनबद्धताओं पर	
	iv) अंशतः प्रदत्त निवेशों पर अनाहूत देयताएं	
	v) बैंक पर ऐसे दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	
	vi) वसूली के लिए बिल	
	vii) सहभागिता प्रमाणपत्रों पर	
	viii) भुनाए गए / पुनः भुनाए गए बिल	
	ix) अन्य राशियां, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	
	योग	

Previous Year Rs.		This Year Rs.
	CONTINGENT LIABILITIES	
	i) Acceptances, Guarantees, endorsements & other obligations	
	ii) On outstanding forward exchange contracts	
	iii) On underwriting commitments	
	iv) Uncalled Liability on party paid Investments	
	v) Claims on the Bank not acknowledged as debts	
	vi) Bills for collection	
	vii) On participation certificates	
	viii) Bills Discounted/Rediscounted	
	ix) Other monies for which the Bank is contingently liable	
	Total	

अनुसूची II

भारतीय निर्यात–आयात बैंक

दिनांक ________________ को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

सामान्य निधि

गत वर्ष रुपये		अनुसूचियां	इस वर्ष रुपये
	व्यय		
	1. ब्याज		
	2. ऋण बीमा, शुल्क एवं प्रभार		
	3. स्टाफ के वेतन, भत्ते आदि और सेवांत लाभ		
	4. निदेशकों एवं समिति के सदस्यों की फीस तथा व्यय		
	5. लेखा परीक्षा की फीस		
	6. भाड़ा, कर, बिजली एवं बीमा प्रीमिया		
	7. संचार विषयक व्यय		
	8. विधि विषयक व्यय		
	9. अन्य व्यय	XII	
	10. मूल्यह्रास		
	11. ऋण हानियों / आकस्मिकताओं, निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
	12. नीचे ले जाया गया लाभ		
	योग		
	आय कर के लिए प्रावधान		
	तुलन–पत्र में अंतरित लाभ शेष		
	आय		
	1. ब्याज और बट्टा	XIII	
	2. विनिमय, कमीशन, ब्रोकरेज और फीस		
	3. अन्य आय	XIV	
	4. तुलन–पत्र को ले जाई गई हानि		
	योग		
	नीचे लाया गया लाभ		
	पूर्ववर्ती वर्षों की आधिक्य		
	आय/ब्याज–कर के प्रावधान का प्रतिलेखन		

SCHEDULE II

EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ______________

GENERAL FUND

Previous Year Rs.		Schedules	This Year Rs.
	EXPENDITURE		
	1. Interest		
	2. Credit Insurance fees and charges		
	3. Staff Salaries, Allowances etc. and Terminal Benefits		
	4. Directors' and Committee Members' Fees and Expenses		
	5. Audit Fees		
	6. Rent, Taxes, Electricity and Insurance Premia		
	7. Communication expenses		
	8. Legal Expenses		
	9. Other Expenses	XII	
	10. Depreciation		
	11. Provision for loan losses/ contingencies, depreciation on investments		
	12. Profit carried down		
	Total		
	Provision for Income Tax		
	Balance of Profit transferred to Balance Sheet		
	INCOME		
	1. Interest and Discount	XIII	
	2. Exchange, Commission, Brokerage, and Fees		
	3. Other Income	XIV	
	4. Loss carried to Balance Sheet		
	Total		
	Profit brought down		
	Excess Income/Interest Tax provision of earlier years written back		

तुलन–पत्र की अनुसूचियां

सामान्य निधि

गत वर्ष रुपये		इस वर्ष रुपये
अनुसूची I :	**पूँजी:**	
	1. प्राधिकृत	
	2. निर्गमित एवं प्रदत्त: (केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः अभिदत्त)	
अनुसूची II :	**आरक्षित निधियां:**	
	1. आरक्षित निधि	
	2. सामान्य आरक्षित राशियां	
	3. अन्य आरक्षित राशियां: निवेश उतार–चढ़ाव आरक्षित ऋण शोधन निधि (ऋण–व्यवस्थाएं)	
	4. आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन विशेष आरक्षित राशि	
अनुसूची III :	**लाभ और हानि लेखा:**	
	1. परिशिष्ट में उल्लिखित लेखों के अनुसार शेष	
	2. घटाएं: विनियोजन:	
	– आरक्षित निधि को अंतरित	
	– निवेश उतार–चढाव आरक्षित निधि को अंतरित	
	– ऋण शोधन निधि को अंतरित	
	– आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि को अंतरित	
	– लाभांश के जरिए वितरित लाभ पर कर हेतु प्रावधान	
	3. निवल लाभ का शेष (एक्ज़िम बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 23(2) के अनुसार केंद्र सरकार को अंतरणीय)	
अनुसूची IV :	**जमा राशियां:**	
	(क) भारत में	
	(ख) भारत के बाहर	

SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

GENERAL FUND

Previous Year Rs.		This Year Rs.
Schedule I :	**Capital :**	
	1. Authorised	
	2. Issued and Paid-up : (Wholly subscribed by the Central Government)	
Schedule II :	**Reserves :**	
	1. Reserve Fund	
	2. General Reserve	
	3. Other Reserves : Investment Fluctuation Reserve Sinking Fund (Lines of Credit)	
	4. Special Reserve u/s 36(1) (viii) of Income Tax Act, 1961	
Schedule III :	**Profit & Loss Account :**	
	1. Balance as per annexed accounts	
	2. Less: Appropriations :	
	- Transferred to Reserve Fund	
	- Transferred to Investment Fluctuation Reserve	
	- Transferred to Sinking Fund	
	- Transferred to Special Reserve u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961	
	- Provision for tax on distributed profit by way of dividend	
	3. Balance of the net profits (Transferable to the Central Government in terms of section 23(2) of the EXIM Bank Act, 1981)	
Schedule IV :	**Deposits :**	
	(a) In India	
	(b) Outside India	

गत वर्ष रुपये		इस वर्ष रुपये
अनुसूची V :	**उधार राशियां:**	
	1. भारतीय रिज़र्व बैंक से :	
	(क) न्यासी प्रतिभूतियों पर	
	(ख) विनिमय बिलों पर	
	(ग) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि से	
	2. भारत सरकार से	
	3. अन्य स्रोतों से :	
	(क) भारत में	
________	(ख) भारत के बाहर	________
________		________
अनुसूची VI :	**नकदी एवं बैंक में शेष:**	
	1. हाथ में नकदी	
	2. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष	
	3. अन्य बैंकों में शेष:	
	(क) भारत में	
	(i) चालू खातों में	
	(ii) अन्य जमा खातों में	
	(ख) भारत के बाहर	
________	4. मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय धनराशि	________
________		________
अनुसूची VII :	**निवेश:**	
	(मूल्य में ह्रास का निवल, यदि कोई है)	
	1. केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	
	2. इक्विटी शेयर और स्टॉक	
	3. अधिमान शेयर एवं स्टॉक	
	4. नोट, डिबेंचर एवं बॉन्ड	
________	5. अन्य	________
________		________

Previous Year Rs.		This Year Rs.
Schedule V :	**Borrowings :**	
	1. From Reserve Bank of India :	
	(a) Against Trustee Securities	
	(b) Against Bills of Exchange	
	(c) Out of the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	
	2. From Government of India	
	3. From Other Sources:	
	(a) In India	
	(b) Outside India	
Schedule VI :	**Cash and Bank Balances :**	
	1. Cash in Hand	
	2. Balance with Reserve Bank of India	
	3. Balances with other Banks :	
	(a) In India i) in current accounts ii) in other deposit accounts	
	(b) Outside India	
	4. Money at call and short notice	
Schedule VII :	**Investments :** (net of diminution in value, if any)	
	1. Securities of Central and State Governments	
	2. Equity Shares and Stocks	
	3. Preference Shares and Stocks	
	4. Notes, Debentures and Bonds	
	5. Others	

गत वर्ष रुपये			इस वर्ष रुपये
अनुसूची VIII :	**ऋण एवं अग्रिम:**		
	1. विदेशी सरकारें		
	2. बैंक:		
	(क) भारत में		
	(ख) भारत के बाहर		
	3. वित्तीय संस्थाएं:		
	(क) भारत में		
	(ख) भारत के बाहर		
________	4. अन्य		________
________			________
अनुसूची IX :	**भुनाये गये / पुनः भुनाये गये विनिमय बिल और वचन–पत्र:**		
	(क) भारत में		
________	(ख) भारत के बाहर		________
________			________
अनुसूची X :	**अचल आस्तियां: (लागत पर मूल्यह्रास घटाकर)**		
	1. परिसर		
________	2. अन्य		________
________			________
अनुसूची XI :	**अन्य आस्तियां:**		
	1. निम्नलिखित पर उपचित ब्याज		
	(क) निवेशों पर / बैंक जमाओं पर		
	(ख) ऋण एवं अग्रिम		
	2. पूर्व प्रदत्त बीमा प्रीमियम – ईसीजीसी लिमिटेड को प्रदत्त		
	3. विविध पक्षों के पास जमा राशियां		
	4. प्रदत्त अग्रिम आय कर		
________	5. अन्य		________
________			________

Previous Year Rs.		This Year Rs.
Schedule VIII :	**Loans and Advances :**	
	1. Foreign Governments	
	2. Banks :	
	(a) In India	
	(b) Outside India	
	3. Financial Institutions :	
	(a) In India	
	(b) Outside India	
______	4. Others	______
______		______
Schedule IX :	**Bills of Exchange and Promissory Notes Discounted/Rediscounted :**	
	(a) In India	
______	(b) Outside India	______
______		______
Schedule X :	**Fixed Assets : (At cost less depreciation)**	
	1. Premises	
______	2. Others	______
______		______
Schedule XI :	**Other Assets :**	
	1. Accrued interest on (a) investments / bank balances (b) loans and advances	
	2. Prepaid insurance premium – paid to ECGC Ltd.	
	3. Deposits with sundry parties	
	4. Advance Income Tax paid	
______	5. Others	______
______		______

गत वर्ष रुपये		इस वर्ष रुपये
अनुसूची XII :	**अन्य व्यय :**	
	1. निर्यात संवर्धन व्यय	
	2. डाटा प्रोसेसिंग पर और संबद्ध व्यय	
	3. मरम्मत और रखरखाव	
	3. मुद्रण और लेखा सामग्री	
	5. अन्य	
अनुसूची XIII :	**ब्याज एवं बट्टा :**	
	1. ऋणों और अग्रिमों / बिलों की भुनाई / पुनर्भुनाई पर ब्याज और बट्टा	
	2. निवेशों / बैंक जमा राशियों पर आय	
अनुसूची XIV :	**अन्य आय :**	
	1. निवेशों की बिक्री / पुनर्मूल्यांकन पर निवल लाभ	
	2. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों पर निवल लाभ	
	3. अन्य	

Previous Year Rs.		This Year Rs.
Schedule XII :	**Other Expenses :**	
	1. Export Promotion Expenses	
	2. Expenses on and related to Data Processing	
	3. Repairs and Maintenance	
	4. Printing and Stationery	
	5. Others	
Schedule XIII :	**Interest and Discount :**	
	1. Interest and Discount on loans and advances/bills discounted/ rediscounted	
	2. Income on Investments/bank balances	
Schedule XIV :	**Other Income :**	
	1. Net Profit on sale / revaluation of investments	
	2. Net Profit on sale on land, buildings and other assets	
	3. Others	

अनुसूची I-क

भारतीय निर्यात–आयात बैंक

यथा दिनांक_______________को तुलन पत्र

निर्यात विकास कोष

गत वर्ष रुपये		इस वर्ष रुपये
	देयताएं	
	1. ऋण:	
	(क) सरकार से	
	(ख) अन्य स्रोतों से	
	2. अनुदान:	
	(क) सरकार से	
	(ख) अन्य स्रोतों से	
	3. उपहार, दान, उपकृतियां:	
	(क) सरकार से	
	(ख) अन्य स्रोतों से	
	4. अन्य देयताएं	
	5. लाभ–हानि लेखा	
	योग	
	आस्तियां	
	1. जमा राशियां	
	(क) चालू खातों में	
	(ख) अन्य जमा खातों में	
	2. निवेश	
	3. ऋण एवं अग्रिम:	
	(क) भारत में	
	(ख) भारत के बाहर	
	4. भुनाये गये, पुनः भुनाये गए विनिमय बिल और वचन–पत्र	
	(क) भारत में	
	(ख) भारत के बाहर	
	5. अन्य आस्तियां	
	(क) निम्नलिखित पर उपचित ब्याज	
	(i) ऋण एवं अग्रिम	
	(ii) निवेश/ जमा राशियां	
	(ख) प्रदत्त अग्रिम आयकर	
	(ग) अन्य	
	योग	

SCHEDULE I-A

EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA
BALANCE SHEET AS AT ______________

EXPORT DEVELOPMENT FUND

Previous Year Rs.		This Year Rs.
	LIABILITIES	
	1. Loans :	
	(a) From Government	
	(b) From Other Sources	
	2. Grants :	
	(a) From Government	
	(b) From Other Sources	
	3. Gifts, Donations, Benefactions :	
	(a) From Government	
	(b) From Other Sources	
	4. Other Liabilities	
	5. Profit and Loss Account	
	Total	
	ASSETS	
	1. Bank Balances	
	(a) In current accounts	
	(b) In other deposit accounts	
	2. Investments	
	3. Loans and Advances :	
	(a) In India	
	(b) Outside India	
	4. Bills of Exchange and Promissory Notes Discounted, Rediscounted	
	(a) In India	
	(b) Outside India	
	5. Other Assets	
	(a) Accrued Interest on	
	(i) Loans and Advances	
	(ii) Investments/bank balances	
	(b) Advance Income Tax paid	
	(c) Others	
	Total	

गत वर्ष रुपये		इस वर्ष रुपये

आकस्मिक देयताएं

(i) स्वीकृतियां, गारंटियां, परांकन तथा अन्य दायित्व

(ii) वायदा विनिमय संविदाओं की बकाया राशियों पर

(iii) हामीदारी वचनबद्धताओं पर

(iv) अंशतः प्रदत्त निवेशों पर अनाहूत देयताएं

(v) बैंक पर ऐसे दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है

(vi) वसूली के लिए बिल

(vii) सहभागिता प्रमाणपत्रों पर

(viii) भुनाये गये / पुनः भुनाये गये बिल

(ix) अन्य राशियां जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है

Previous Year Rs.		This Year Rs.
	CONTINGENT LIABILITIES	
	(i) Acceptances, Guarantees, endorsements and other obligations.	
	(ii) On outstanding forward exchange contracts	
	(iii) On underwriting commitments	
	(iv) Uncalled Liability on partly paid investments	
	(v) Claims on the Bank not acknowledged as debts	
	(vi) Bills for collection	
	(vii) On participation certificates	
	(viii) Bills Discounted/Rediscounted	
	(ix) Other monies for which the Bank is contingently liable	

अनुसूची II-क

यथा ________________को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

<u>निर्यात विकास कोष</u>

गत वर्ष रुपये		इस वर्ष रुपये
	<u>व्यय</u>	
	1. ब्याज	
	2. अन्य व्यय	
	3. आगे ले जाया गया लाभ	
________	**योग**	________
	आय कर के लिए प्रावधान	
	तुलन पत्र में अंतरित लाभ शेष	
________		________
	<u>आय</u>	
	1. ब्याज और बट्टा	
	(क) ऋण एवं अग्रिम	
	(ख) निवेश / जमा राशि	
	2. विनिमय, कमीशन, ब्रोकरेज और फीस	
	3. अन्य आय	
	4. तुलन–पत्र को ले जायी गयी हानि	
________	**योग**	________
	नीचे लाया गया लाभ	
	पूर्ववर्ती वर्षों की आधिक्य आय / ब्याज कर के प्रावधान का प्रतिलेखन	
________		________

SCHEDULE II-A

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED _______

EXPORT DEVELOPMENT FUND

Previous Year Rs.		This Year Rs.
	EXPENDITURE	
	1. Interest	
	2. Other Expenses	
	3. Profit carried down	
	Total	
	Provision for Income Tax	
	Balance of profit transferred to Balance Sheet	
	INCOME	
	1. Interest and Discount	
	(a) loans and advances	
	(b) investments / bank balances	
	2. Exchange, Commission, Brokerage and Fees	
	3. Other Income	
	4. Loss carried to Balance Sheet	
	Total	
	Profit brought down	
	Excess Income/Interest tax provision of earlier years written back	

.... को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी		
	राशि (लाख रुपये में)	
विवरण	.... को समाप्त वर्ष (इस वर्ष)	.... को समाप्त वर्ष (गत वर्ष)
परिचालनगत कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें		
निम्नलिखित के लिए समायोजन		
– अचल आस्तियों (निवल) की बिक्री से (लाभ) / हानि		
– निवेशों (निवल) की बिक्री से (लाभ) / हानि		
– मूल्यह्रास		
– बट्टे खाते में डाले गए बॉन्ड निर्गम पर बट्टा / व्यय		
– निवेश उतार–चढ़ाव आरक्षित लेखे से अंतरण		
– ऋणों / निवेशों एवं अन्य प्रावधानों के लिए प्रावधान / बट्टे खाते डालना		
– अन्य – उल्लेख करें		
निम्नलिखित के लिए समायोजन		
– अन्य आस्तियां		
– चालू देयताएं		
परिचालनों से नकदी निर्माण		
आय कर /ब्याज कर का भुगतान		
परिचालनगत कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह		
निवेशगत कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
– अचल आस्तियों की निवल खरीद		
– निवेशों में निवल परिवर्तन		
निवेशगत कार्यकलापों में उपयोग की गई / से जुटाई गई निवल नकदी		
वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
– लगाई गई इक्विटी पूँजी से		
– लिए गए ऋणों (चुकौती की निवल) से		
– लिए गए ऋणों, बिलों की भुनाई और पुनर्भुनाई (प्राप्त चुकौती का निवल)		
– इक्विटी शेयरों पर लाभांश तथा लाभांश पर कर से		
वित्तपोषण कार्यकलापों में / से जुटाई गई निवल नकदी		
नकदी में निवल बढ़त / (कमी) और नकदी समतुल्य		
प्रारंभिक नकदी और नकदी समतुल्य		
अंतिम शेष नकदी और नकदी समतुल्य		

SCHEDULE III

Cash Flow Statement for the year ended …….		
	Amount (Rs. in lacs)	
Particulars	**Year ended. (this year)**	**Year ended (previous year)**
Cash flow from Operating Activities		
Net Profit before tax and extraordinary items		
Adjustments for		
- (Profit)/Loss on sale of fixed assets (Net)		
- (Profit)/Loss on sale of Investments (Net)		
- Depreciation		
- Discount/Expenses on bond issues written off		
- Transfer from Investment Fluctuation Reserve		
- Provisions/Write-offs of Loans/Investments & other provisions		
- Others – to specify		
Adjustments for		
- Other Assets		
- Current liabilities		
Cash generated from operations		
Payment of income tax/interest tax		
Net cash flow from operating activities		
Cash flow from Investing activities		
- Net purchase of fixed assets		
- Net change in investments		
Net cash used in / raised from Investing activities		
Cash Flow from Financing activities		
- Equity capital infusion		
- Loans borrowed (net of repayments made)		
- Loans lent, bills discounted & rediscounted (net of repayments received)		
- Dividend on equity shares & tax on dividend		
Net cash used in / raised from Financing activities		
Net Increase/(Decrease) in Cash & Cash Equivalents		
Opening Cash & Cash Equivalents		
Closing Cash & Cash Equivalents		

भारतीय निर्यात-आयात बैंक के कार्यालय

प्रधान कार्यालय

केन्द्र एक भवन, 21वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केन्द्र संकुल, कफ़ परेड, मुंबई – 400 005.
फोन: (91 22) 22172600 । फैक्स: (91 22) 22182572
ई-मेल: ccg@eximbankindia.in । वेबसाइट: www.eximbankindia.in, www.eximmitra.in

भारत स्थित कार्यालय

अहमदाबाद
साकार ।।, पहली मंज़िल, एलिसब्रिज शॉपिंग सेंटर के पास,
एलिसब्रिज पी. ओ., अहमदाबाद – 380 006.
फोन: +91 79 26576852/26576843 । फैक्स: +91 79 26577696
ई-मेल: eximahro@eximbankindia.in

बेंगलूरु
रमणश्री आर्केड, चौथी मंज़िल, 18, एम. जी. रोड, बेंगलूरु – 560 001.
फोन: +91 80 25585755/25589101-04
फैक्स: +91 80 25589107
ई-मेल: eximbro@eximbankindia.in

चंडीगढ़
सी-213, दूसरी मंज़िल, एलान्ते कार्यालय,
औद्योगिक क्षेत्र फेज-1, चंडीगढ़ - 160 002.
फोन: +91 172 4629171-73 । फैक्स: +91 172 4629175
ई-मेल: eximcro@eximbankindia.in

चेन्नै
ओवरसीज टॉवर्स, चौथी एवं पांचवी मंजिल, 756-एल,
अन्ना सलाई, चेन्नै - 600 002.
फोन: +91 44 28522830/31 । फैक्स: +91 44 28522832
ई-मेल: eximchro@eximbankindia.in

गुवाहाटी
नेडफी हाउस, चौथी मंज़िल, जी. एस. रोड, दिसपुर,
गुवाहाटी - 781 006.
फोन: +91 361 2237607/609 । फैक्स: +91 361 2237701
ई-मेल: eximgro@eximbankindia.in

हैदराबाद
गोल्डन एडिफिस, दूसरी मंज़िल, 6-3-639/640,
राज भवन रोड, खैरताबाद सर्कल, हैदराबाद - 500 004.
फोन: +91 40 23307816-21 । फैक्स: +91 40 23317843
ई-मेल: eximhro@eximbankindia.in

कोलकाता
वाणिज्य भवन, चौथी मंज़िल, (अंतरराष्ट्रीय व्यापार सुगमीकरण केंद्र),
1/1 वुड स्ट्रीट, कोलकाता - 700 016.
फोन: +91 33 22833419/20 । फैक्स: +91 33 22891727
ई-मेल: eximkro@eximbankindia.in

नई दिल्ली
ऑफिस ब्लॉक. टॉवर 1, सातवीं मंज़िल, रिंग रोड के पास,
किदवई नगर (पूर्व), नई दिल्ली – 110 023.
फोन: +91 11 61242600 / 24607700 । फैक्स: +91 11 20815029
ई-मेल: eximndo@eximbankindia.in

पुणे
नं. 402 और 402 (बी), चौथी मंज़िल, सिग्नेचर बिल्डिंग, भाम्बुर्डा,
भंडारकर रोड, शिवाजी नगर, पुणे - 411 004.
फोन: +91 20 25648856 । फैक्स: +91 20 25648846
ई-मेल: eximpro@eximbankindia.in

लंदन शाखा

5वीं मंज़िल, 35 किंग स्ट्रीट, लंदन ईसी 2वी 8 बीबी, यूनाइटेड किंगडम.
फोन: +44 20 77969040 । फैक्स: +44 20 76000936
ई-मेल: eximlondon@eximbankindia.in

विदेश स्थित कार्यालय

आबिदजान
5वीं मंज़िल, अज्यूर बिल्डिंग, 18-दॉक्तर क्रोज़े रोड,
प्लेत्यो-आबिदजान, कोत दि'वार.
फोन: +225 20 24 29 51 । मोबाइल: +225 79707149
फैक्स: +225 20 24 29 50
ई-मेल: eximabidjan@eximbankindia.in

अदिस अबाबा
हाउस नं. 46, जैक्रोस एस्टेट कंपाउंड, वोरेडा 07,
बोले सब-सिटी, अदिस अबाबा, इथियोपिया.
फोन: +251 116 222296 । फैक्स: +251 116 610170
ई-मेल: aaro@eximbankindia.in

ढाका
मधुमिता प्लाज़ा कॉनकॉर्ड, 12वीं मंज़िल, प्लॉट सं. 11, रोड नं. 11,
ब्लॉक जी, बानानी ढाका - 1213, बांग्लादेश.
फोन: +88 01 708 520 444
ई-मेल: eximdhaka@eximbankindia.in

दुबई
लेवल 5, टेनेंसी 1बी, गेट प्रीसिंक्ट बिल्डिंग नं. 3,
दुबई अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केन्द्र, पीओ बॉक्स नं. 506541, दुबई, यूएई.
फोन: +971 4 3637462 । फैक्स: +971 4 3637461
ई-मेल: eximdubai@eximbankindia.in

जोहांस्बर्ग
दूसरी मंज़िल, सैंडटन सिटी ट्विन टॉवर्स ईस्ट, सैंडहर्स्ट एक्सटेंशन 3,
सैंटन 2196, जोहांस्बर्ग, दक्षिण अफ्रीका.
फोन: +27 11 3265103/13 । फैक्स: +27 11 7844511
ई-मेल: eximjro@eximbankindia.in

सिंगापुर
20, कोलियर क्वे, #10-02, सिंगापुर - 049319.
फोन: +65 65326464 । फैक्स: +65 65352131
ई-मेल: eximsingapore@eximbankindia.in

वाशिंगटन डी. सी.
1750 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू एन. डब्ल्यू, सूइट 1202,
वाशिंगटन डी. सी. 20006, संयुक्त राज्य अमेरिका.
फोन: +1202 223 3238 । फैक्स: +1202 785 8487
ई-मेल: eximwashington@eximbankindia.in

यॉंगॉन
हाउस नं. 54/ए, तल मंज़िल, बोयारन्युत मार्ग, डैगन टाउनशिप,
यॉंगॉन, म्यांमार.
फोन: +95 1389520 । मोबाइल: +95 1389520
ई-मेल: eximyangon@eximbankindia.in

OUR GLOBAL FOOTPRINT

Head Office

Centre One Building, 21st Floor, World Trade Centre Complex,
Cuffe Parade, Mumbai - 400 005.
Ph.: +91 22 22172600 | Fax: +91 22 22182572
E-mail: ccg@eximbankindia.in | Website: www.eximbankindia.in | www.eximmitra.in

Domestic Offices

AHMEDABAD
Sakar II, 1st Floor, Next to Ellisbridge Shopping Centre,
Ellisbridge P. O., Ahmedabad - 380 006.
Ph.: +91 79 26576852/26576843 | Fax: +91 79 26577696
E-mail: eximahro@eximbankindia.in

BENGALURU
Ramanashree Arcade, 4th Floor, 18, M. G. Road,
Bengaluru - 560 001.
Ph.: +91 80 25585755/25589101-04 | Fax: +91 80 25589107
E-mail: eximbro@eximbankindia.in

CHANDIGARH
C- 213, 2nd Floor, Elante Offices,
Industrial Area Phase -1, Chandigarh - 160 002.
Ph.: +91 172 4629171-73 | Fax: +91 172 4629175
E-mail: eximcro@eximbankindia.in

CHENNAI
Overseas Towers, 4th and 5th Floor, 756-L,
Anna Salai, Chennai - 600 002.
Ph.: +91 44 28522830/31 | Fax: +91 44 28522832
E-mail: eximchro@eximbankindia.in

GUWAHATI
NEDFi House, 4th Floor, GS Road, Dispur, Guwahati - 781 006.
Ph.: +91 361 2237607/609 | Fax: +91 361 2237701
E-mail: eximgro@eximbankindia.in

HYDERABAD
Golden Edifice, 2nd Floor, 6-3-639/640, Raj Bhavan Road,
Khairatabad Circle, Hyderabad - 500 004.
Ph.: +91 40 23307816-21 | Fax: +91 40 23317843
E-mail: eximhro@eximbankindia.in

KOLKATA
Vanijya Bhawan, 4th Floor, (International Trade Facilitation Centre),
1/1 Wood Street, Kolkata - 700 016.
Ph.: +91 33 22833419/20 | Fax: +91 33 22891727
E-mail: eximkro@eximbankindia.in

NEW DELHI
Office Block, Tower 1, 7th Floor, Adjacent Ring Road,
Kidwai Nagar (East), New Delhi - 110 023.
Ph.: +91 11 61242600/24607700 | Fax: +91 11 20815029
E-mail: eximndo@eximbankindia.in

PUNE
No. 402 & 402 (B) 4th Floor Signature Building, Bhamburda,
Bhandarkar Rd., Shivajinagar, Pune - 411 004.
Ph.: +91 20 25648856 | Fax: +91 20 25648846
E-mail: eximpro@eximbankindia.in

London Branch

5th Floor, 35 King Street,
London EC2V 8BB, United Kingdom.
Ph.: +44 20 77969040 | Fax: +44 20 76000936
E-mail: eximlondon@eximbankindia.in

Overseas Offices

ABIDJAN
5th Floor, Azur Building, 18-Docteur Crozet Road,
Plateau, Abidjan, Côte d'Ivoire.
Ph.: +225 20 24 29 51 | Fax: +225 20 24 29 50
E-mail: eximabidjan@eximbankindia.in

ADDIS ABABA
House No. 46, Jakrose Estate Compound,
Woreda 07, Bole Sub-City,
Addis Ababa, Ethiopia.
Ph.: +251 118 222296 | Fax: +251 116 610170
E-mail: aaro@eximbankindia.in

DHAKA
Modhumita Plaza Concord, Floor 12, Plot No. 11,
Road No. 11, Block G, Banani, Dhaka - 1213, Bangladesh.
Ph.: +88 01 708 520 444
E-mail: eximdhaka@eximbankindia.in

DUBAI
Level 5, Tenancy 1B, Gate Precinct Building No. 3, Dubai
International Financial Centre, PO Box No. 506541, Dubai, UAE.
Ph.: +971 4 3637462 | Fax: +971 4 3637461
E-mail: eximdubai@eximbankindia.in

JOHANNESBURG
2nd Floor, Sandton City Twin Towers East, Sandhurst Ext. 3,
Sandton 2196, Johannesburg, South Africa.
Ph.: +27 11 3265103/13 | Fax: +27 11 7844511
E-mail: eximjro@eximbankindia.in

SINGAPORE
20, Collyer Quay, #10-02, Singapore - 049319.
Ph.: +65 65326464 | Fax: +65 65352131
E-mail: eximsingapore@eximbankindia.in

WASHINGTON D.C.
1750 Pennsylvania Avenue NW, Suite 1202,
Washington D.C. 20006, United States of America.
Ph.: +1 202 223 3238 | Fax: +1 202 785 8487
E-mail: eximwashington@eximbankindia.in

YANGON
House No. 54/A, Ground Floor, Boyarnyunt Street,
Dagon Township, Yangon, Myanmar.
Ph.: +95 1389520
E-mail: eximyangon@eximbankindia.in

इंडिया एक्ज़िम बैंक
India Exim Bank

केन्द्र एक भवन, 21वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केन्द्र संकुल, कफ़ परेड, मुंबई – 400 005.

Centre One Building, 21st Floor, World Trade Centre Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400 005.

+91-22-22172600 +91-22-22182572 ccg@eximbankindia.in www.eximbankindia.in / www.eximmitra.in

हमें फॉलो करें Follow us on: